ज. ने. कृषि वि. वि. जबलपुर
स्थापना शाखा
आवक क्रमांक 4R-8
दिनाँक 13/04/2023

मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/AGR/5/0004/2023-Sec-2-14(AGR) भोपाल, दिनांक 31/03/2023
181621/358

प्रति,

1. संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी /सीएट
म0प्र0 भोपाल
2. प्रंबध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड/बीज एवं फार्म विकास निगम/
बीज प्रमाणीकरण संस्था/जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल
3. कुलसचिव
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर म0प्र0
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर म0प्र0

आवक क्र. पी.एस.आर./GR/299 दिनाँक 6/4/23

विषय:- सरकारी यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण के संबंध में।
संदर्भ:- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, परिवहन विभाग का प्राप्त पत्र क्रमांक/736/1011328/2022/आठ, दिनांक 31.03.2023

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- संदर्भित आदेश।

(आर.के.गणेशे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

EE / AR(E II) / Regd

पृ.क्रमांक AGR/5/0004/2023-Sec-2-14(AGR)/ भोपाल दिनांक 31/03/2023
181621/359

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. उप सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

Gmpatlani Sachin 10/4/23

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

वाहनों संबंधी कार्य स्थापना अनु. से संपादित नहीं होने से विधायकीय पत्र सह जिलाधीश (सा.) को अग्रेषित करना चाहेंगे।

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31 .01.2023

क्रमांक 736 /1011328/2022/आठ – भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.01.203 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम–52 के पश्चात् निम्नानुसार नियम 52–क अंतःस्थापित किया गया है:–

"52–क सरकारी यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण–(1) नियम 52 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जो निम्नलिखित के स्वामित्व में हैं :–

(i) केन्द्र सरकार या
(ii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या
(iii) किसी नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत या
(iv) सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (1950 का 64) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन स्थापित किसी राज्य परिवहन उपक्रम या ,
(v) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या
(vi) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय,

यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, धारा 41 की उप–धारा (7) में यथा उपबंधित, पंद्रह वर्षो की अवधि के अवसान के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।

परन्तु सरकारी यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यदि आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष के अवसान के पूर्व पहले ही नवीनीकृत हो चुका है तो ऐसा प्रमाणपत्र यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने पर रद्द माना जाएगा।

परंतु यह और कि, यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष यान) पर लागू नहीं होगा।

2/– अतः राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में ऐसे समस्त शासकीय वाहन जो ऑफ रोड हो चुके हैं तथा ऐसे वाहन जिनके पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, का पंजीयन निरस्त करता है एवं उपरोक्त वाहनो का निपटान मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 30.09.2022 के अनुसार स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से किया जावे।

3/– दिनांक 01.04.2023 के पश्चात् ऐसे समस्त शासकीय वाहन जिनके पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उनका पंजीयन पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर स्वमेव समाप्त माना जावेगा तथा उनका निपटान मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 30.09.2022 के अनुसार स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 01.04.2023 से प्रवृत्त माने जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

D:\MANISH\manish order.docx-66

पृ. क्रमांक 737 /1011328/2022/आठ भोपाल दिनांक 31.01.2023

प्रतिलिपि –

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रान्सपोर्ट सेक्सन, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, परिवहन विभाग, भोपाल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

ज. ने. कृषि वि. वि. जबलपुर
स्थापना शाखा
आवक क्रमांक 9R-9
दिनाँक 13.04.23

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31 .01.2023

क्रमांक 736 /1011328/2022/आठ – भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.01.203 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम–52 के पश्चात् निम्नानुसार नियम 52–क अंतःस्थापित किया गया है:–

"52–क सरकारी यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण–(1) नियम 52 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जो निम्नलिखित के स्वामित्व में हैं :–

(i) केन्द्र सरकार या
(ii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या
(iii) किसी नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत या
(iv) सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (1950 का 64), और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन स्थापित किसी राज्य परिवहन उपक्रम या ,
(v) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या
(vi) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय,

यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, धारा 41 की उप–धारा (7) में यथा उपबंधित, पंद्रह वर्षो की अवधि के अवसान के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।

परन्तु सरकारी यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यदि आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष के अवसान के पूर्व पहले ही नवीनीकृत हो चुका है तो ऐसा प्रमाणपत्र यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने पर रद्द माना जाएगा।

परंतु यह और कि, यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों (बख्तरबंद और अन्य विशेष यान) पर लागू नहीं होगा।

2/– अतः राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में ऐसे समस्त शासकीय वाहन जो ऑफ रोड हो चुके हैं तथा ऐसे वाहन जिनके पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, का पंजीयन निरस्त करता है एवं उपरोक्त वाहनो का निपटान मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 30.09.2022 के अनुसार स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से किया जावे।

3/– दिनांक 01.04.2023 के पश्चात् ऐसे समस्त शासकीय वाहन जिनके पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उनका पंजीयन पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर स्वमेव समाप्त माना जावेगा तथा उनका निपटान मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 30.09.2022 के अनुसार स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 01.04.2023 से प्रवृत्त माने जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

आवक क्र. पी.एस.आर./GR/289
दिनाँक 31/1/23

पृ. क्रमांक 737 /1011328/2022/आठ भोपाल दिनांक 31.01.2023

प्रतिलिपि –

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रान्सपोर्ट सेक्सन, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, परिवहन विभाग, भोपाल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग